

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना  
सं.24/2018 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ) .- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का (52) की धारा 4 की उपधारा के (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 92/2017 (.टे.गै) सीमाशुल्क -, दिनांक 28.09.2017 जिसे सा .नि.का.1210 (अ) दिनांक 28.09.2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संसोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, मदों (i) और (i क), निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(i) आयुक्त, सीमाशुल्क (हवाईअड्डा एवं सामान्य), दिल्ली;”;

(ख) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मदों (iv) और (iv क), निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(iv) आयुक्त, सीमाशुल्क (निर्यात), मुम्बई जोन -I”;

(ग) क्रम संख्या 5 के समक्ष, मद (iv क) का लोप कर दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से लागू होगी।

3.

[फा .सं.450/100/2017- सीमा शुल्क IV]

जुबैर रियाज़

(जुबैर रियाज़)

निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना स. 92/2017- सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1210(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. संख्या 21 (अ), दिनांक 10 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना स. 04/2018- सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था ।